

-प्रेस विज्ञप्ति-

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरंभ**

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय स्तरीय राजकीय व अनुदानित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2023-24 के लिये दिनांक 23 मई 2023 से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रिया:-

1. विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in पर नवीन प्रवेश पोर्टल SJMS के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे।
2. एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम तीन छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों का चयन ऑनलाईन कर सकेगा।
3. पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी जो इस वर्ष छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें भी नवीन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रवेश हेतु पात्रता:-

1. राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
2. आवासीय विद्यालयों एवं विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्रा को प्रवेश देय है।
3. विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जावेगी-इसके पश्चात भी स्थान रिक्त रहने पर JEE, NEET, CLAT, RAS, IAS प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर JEE, NEET, CLAT, RAS, IAS प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा।
5. छात्र-छात्रा का चरित्र प्रमाण-पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
6. छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरियता संबंधित वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के छात्र-छात्रा को दी जायेगी।
7. प्रवेश हेतु गत कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।
8. छात्र-छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं एवं लेवल-11 तक (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक) वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज- ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र जन-आधार कार्ड के माध्यम से लिये जायेंगे। जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रामाणिक माना जाएगा। आवेदन पत्र हेतु वांछित दस्तावेज यथा आधार विवरण, बैंक विवरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय का स्वघोषणा पत्र/आय विवरण, विशेष श्रेणी अन्तर्गत पिता/माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन का विवरण, बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय आदि का विवरण जनाधार /राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर अथवा दस्तावेज जारीकर्ता एजेन्सी द्वारा संधारित वेब सर्विस से प्राप्त कर स्वतः सत्यापित होंगे। (इसके लिए विद्यार्थी को पृथक् से किसी प्रकार का दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। माता और पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिए) (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये), पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (विधवा आवेदकों के लिए) राजस्थान के

Signature valid

Digitally signed by Harsh Mohan Meena
Designation: Director
Date: 2023.05.16 11:25:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3835166



निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण-पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृत्ति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण-पत्र (केवल भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये)।

प्रवेश हेतु आवेदन करने का अन्तिम तिथि:- 27 जुलाई 2023 नियत है।

छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरियता क्रमांक इस प्रकार रहेगा :-

1. पूर्व से आवासरत छात्र-छात्रा, 2. कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ/विधवा के पुत्र-पुत्री, 3. अनाथ छात्र-छात्रा, 4. विधवा/परित्यक्ता स्वयं, 5. विशेष योग्यजन स्वयं, 6. विधवा/परित्यक्ता के छात्र-छात्रा 7. विशेष योग्यजन के परिवार के बच्चे 8. बी.पी.एल. परिवार के छात्र-छात्रा 9. 8.00 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा वाले परिवार एवं लेवल-11 (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक) वेतनभोगी राज्य सरकार के कर्मचारी के पुत्र-पुत्री

विशेष विवरण :- 40 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाले बालक-बालिका गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही वरियता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नियत वरियता अनुक्रम विभागीय आदेश क्रमांक 29428 दिनांक 07.05.2015 के अनुसार होगी, जिसका पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> देखा जा सकेगा।

छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालय में शत प्रतिशत प्रवेश हेतु नियमानुसार निर्देशित किया जाता है :-

1. छात्रावासों में शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित जारी करवायेगे तथा छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु विद्यालयों के प्रधानाध्यपकों व महाविद्यालयों के प्राचार्यों से भी सम्पर्क स्थापित कर प्रवेश हेतु कार्यवाही करेंगे।
2. समस्त जिलाधिकारी अपने जिलों में संचालित विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु जिलों के स्थानीय विद्यालयों तथा महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यों से सम्पर्क स्थापित करें।
3. छात्रावास में प्रवेश के लिये कार्यवाही कराने हेतु सम्पर्क करेंगे तथा इस प्रायोजनार्थ स्थानीय सामाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस नोट प्रकाशित करवायेगे।
4. इसके साथ ही स्थानीय जनजप्रतिनिधियों/प्रशासनिक अधिकारियों/सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी इस संबंध में सहयोग लेंगे।
5. विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की सूचियां निम्न तिथियों के अनुसार जारी की जायेगी :-
 - प्रथम सूची दिनांक 26 जून, 2023 :- प्रथम वरियता सूची छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जायेगी। प्रथम वरियता सूची में आये छात्र/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु आठ दिवस (दिनांक 03.07.2023) का समय दिया जायेगा। प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक को कोशनमनी जमा करवायेगे। अधीक्षक कोशनमनी जमा करने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे तथा कोशनमनी की राशि व रसीद नम्बर ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
 - द्वितीय सूची 10 जुलाई, 2023
 - तृतीय सूची 28 जुलाई, 2023

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
Signature valid
Digitally signed by Har Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.05.15 11:25:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3835166

